रजिस्ट्रीकरण स. डी. एल.—33004/96 REGN. NO. D. L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 25, 1996/चैत्र 5, 1918
No. 120] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 25, 1996/CHAITRA 5, 1918

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1996

सा.का.नि. 148(अ).—केन्द्रीय सरकार, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का 51) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (विशेषाधिकार, संपत्ति और निधियां, लेखा, लेखा परीक्षा, परिसमापन और डिक्रियों, आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन) नियम, 1985 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (विशेषाधिकार, संपत्ति और निधियां, लेखा परीक्षा, परिसमापन और डिक्रियों, आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन (संशोधन) नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (विशेषाधिकार, संपत्ति और निधियां, लेखा, लेखा परीक्षा परिसमापन और डिक्रियों, और आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन) नियम, 1985 में, नियम 10 में उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) ऋण के प्रतिसंदाय की अवधि उतनी होगी जितनी उपविधियों में दी गई हो किंतु मकान क्रय/फ्लैटों के निर्माण/कम से संबंधित ऋणों की दशा में 10 वर्ष और किसी अन्य प्रयोजन के लिए 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी, परन्तु कर्मचारी सहकारी बचत और प्रत्यय सोसाइटियों की दशा में ऋण की अवधि कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तारीख से अधिक नहीं होगी" ।

[सं. एल–11012/4/92-एन एंड एम]
मोहन कांदा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 812(अ) तारीख 28 अक्तूबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 1996

GSR 148 (E)]:—In exercise of the powers conferred by Section 109 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 1984 (51 of 1984), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Multi-State Co-operative Societies (Privileges, Properties and Funds, Accounts, Audit, Winding up and Execution of Decrees, Orders and Decisions) Rules, 1985, namely:-

1. (1) These rules may be called the Multi-State Co-operative Societies (Privileges, Properties and Funds, Accounts, Audit, Winding up and Execution of Decrees, Orders and Decisions) (Amendment) Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Multi-State Co-operative Societies (Privileges, Properties and Funds, Accounts Audit Winding up and Execution of Decrees, Orders and Decisions) Rules, 1985, in rule 10, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) The period of repayment of the loan shall be as provided in the bye-laws, but shall not exceed ten years in case of loans related to construction/

purchase of house/flats and five years for any other purpose: Provided that in case of employees' co-operative thrift and credit societies, the period of loan shall no exceed the date of retirement of the employee.".

[No. L–11012/4/92-L&M
MOHAN KANDA, Jt. Secy.

F. Note:— The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 812(E), dated the 8th October, 1935.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996